]

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

संदर्भ संख्या H14029 /सी–5/जल–25 /17 दिनांक 27.12.17

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि0 (शुगर इकाई),
हरगांव,
सीतापुर।

विषयः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवदेन पत्र दिनांक 09.10.2017 जो इस कार्यालय मे दिनांक 13.11.2017 को प्राप्त है। आपके सहमति आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 12.12.2017 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत सशर्त सहमति स्वीकृत की जाती है तथा संलग्न सहमति आदेश पत्रॉक– 21/17 दिनॉक– 27/12/17 निर्गत किया जाता है।

1. सहमति शर्तो तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी–नाच या अन्य कोइ मापक यंत्र लगवायें, वी–नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय–समय पर प्रेषित करें।
3. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख–रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
4. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्त्रोत का जल प्रदूषित न हो।
5. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
6. यह सहमति 10,000 टन/दिन केन क्रशिंग कर चीन एवं कोजनरेश 22 मेगावाट कोजनरेशन के उत्पादन हेतु विधिमान्य है।
7. उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2016–17 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान–वर्तमान जिम्मेदारियॉ) का सत्यापित प्रमाण पत्र 01 माह में प्रेषित करें जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।
8. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–196 ऑफ 2014 कृष्णकान्त सिंह प्रति नेशनल गंगा रिवर बेशन अथारिटी व अन्य में पारित होने वाले आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. उद्योग द्वारा आनलाइन उत्प्रवाह अनुश्रवण व्यवस्था सिंचाई प्रोटोकाल का पूर्ण विवरण 02 माह में प्रस्तुत करें।
10. शुद्धीकृत उत्प्रवाह में टी.डी.एस. का विश्लेषण कराकर विश्लेषण आख्या 01 माह में प्रेषित करें।

11. Spray pond Overflow/Cooling Tower Blow Down मापने हेतु व्यवस्था की जाये, रिकार्ड रखा जाये एवं बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
12. उद्योग में भूगर्भिय जल रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
13. शुद्धीकृत उत्प्रवाह से फर्टि इरीगेशन का कार्य पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन जी. एस.आर. 35(ई) दिनांक 14.01.2016 द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
14. बहावमापी को सभी जल ऐब्स्ट्रैक्शन बिन्दुओं पर प्रतिस्थापित किया जाएगा और ताजे जल के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा।
15. सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर अथारिटी, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या–CGWA/NOC/IND/ORIG/2017/2617 दिनांक 31.05.2017 की शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जायेगा।
16. उद्योग की पर्यावरणीय वक्तव्य आख्या निर्धारित तिथि तक प्रेषित की जाये।
17. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि जिससे आस–पास के वातावरण एवं जनमानस पर कुप्रभाव न पड़े।
18. उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रान्सबाउन्ड्री मूवमेन्ट) रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
19. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. जल संशाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3187(अ0) दिनांक 07/10/2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
21. यदि किसी उल्लंघनकारी इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
22. प्रत्येक 15 दिन में शुद्धीकृत उत्प्रवाह का विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
23. गोमती नदी में ग्राम मॉझी निकट चन्द्रिका देवी मंदिर, बक्शी का तालाब, लखनऊ जहॉ बोर्ड द्वारा नियमित मानीटरिंग की जाती है, पर में यदि जलगुणता मानकों के अनुरूप नही पायी जाती है तो उद्योग को इस हेतु उत्तरदायी मानते हुए उद्योग के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही की जायेगी।
24. शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह को अधिक से अधिक सिंचाई में प्रयोग करने के उपरान्त ही शेष उत्प्रवाह का निस्तारण किया जायेगा।

सहमति शर्तो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित की जायेगी। इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0के0 अग्रवाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

पृष्ठ संख्या–

तददिनॉक–

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 348 /सी–5/सहमति जल–25/2017 दिनॉक– 27/12/17

विषय : **मेसर्स अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि0 (शुगर इकाई), हरगांव, सीतापुर** को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या– दिनॉक

1. जल राशि का सीवर में या भूमि पर बहिस्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में **मै0 अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि0 (शुगर इकाई), हरगांव, सीतापुर** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनॉक **01.01.2018 से 31.12.2019** तक की अवधि के लिए मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

अनुलग्नकः संलग्नक।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या–3407/सहमति(जल)/आदेश/21/17 दिनॉक 27/12/17

सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नही होनी चाहिए ।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी^{3}	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी^{3}
(i) घरेलू	50 किली0/दिन	सेप्टिक टैंक/सोकपिट/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट द्वारा मानको के अनुरूप शोधन के उपरान्त
(ii) औद्योगिक	1624 किली0/दिन	

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग–अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नही करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नही करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण के उपरान्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 जी.एस.आर. 35(इ.) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
4. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रकिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नही होना चाहिए।
5. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
6. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
7. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या–2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
8. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या–9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु **भूमि सिंचाई** में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
9. पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
10. इस शर्तो का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में पूर्ण अनुपालन किया जाये।
11. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
12. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8ए 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।

13. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
14. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थो का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
    (i) अक्रिय पदार्थ होन पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
    (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
    (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग को जाये।
15. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
16. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा–3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
17. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख–रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्ब, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नही दिया जाना चाहिए।
18. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
19. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्पप्राह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय–समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
20. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
21. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
22. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नही कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
23. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
24. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
25. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
26. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्पप्राह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नही होने दिया जाए।
27. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
28. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H14032 सी–5/वायु प्रदूषण–25/17 दिनॉक– 27-12-17

सेवा में,

मेसर्स अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि0 (शुगर इकाई),
हरगांव,
सीतापुर।

विषयः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवदेन पत्र जो इस कार्यालय मे दिनांक 13.11.2017 को प्राप्त है। आपके सहमति आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनांक 12.12.2017 के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत सशर्त सहमति स्वीकृत की जाती है तथा संलग्न सहमति आदेश पत्रॉक– 25/17 दिनॉक 27/12/17 निर्गत किया जाता है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आकर्षित किया जाता है।
2. यह सहमति 10,000 टन/दिन केन कशिंग कर चोनी एवं कोजनरेश 22 मेगावाट कोजनरेशन के उत्पादन हेतु विधिमान्य है।
3. उद्योग में स्थित सभी ब्यायलरों आदि के फ्लू गैस, प्रकिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर प्रत्येक 01 माह के अन्दर बोर्ड को उपलब्ध कराई जाये।
4. स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था जैसे वेट स्कबर का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये जिससे वायु प्रदूषण कारी अवयवों की मात्रा निर्धारित मानको के अनुरूप हो।
5. स्थापित आन लाइन मानिटिंग सिस्टम के आकड़े नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाये।
6. शुगर मिलों के लिए निर्धारित चार्टर का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2016–17 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान–वर्तमान जिम्मेदारियॉ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित 01 माह में प्रेषित करें जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।
9. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित एवं पर्यावरण (संरक्ष्ण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन किया जाये।
10. उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रान्सबाउन्ड्री मूवमेन्ट) रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

12. जल संशाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3187(अ0) दिनांक 07/10/2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. उद्योग का संचालन इस प्रकारण किया जाये कि जिससे आस-पास के वातावरण एवं जनमानस पर कुप्रभाव न पडे।
14. उद्योग परिसर में अधिक से अधिक वृक्षरोपण किया जाये तथा आवश्यकता अनुसार परिसर मे जल का छिड़काव किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता मानको के अनुरूप रहे।
15. इकाई में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव समुचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
16. उद्योग में ब्यायलर से जनित राख का निस्तारण स्वयं की भूमि पर इस प्रकार से सुनिश्तिच किया जायेगा कि आस-पास के पर्यावरण पर जल/वायु/मृदा प्रदूषण की संभावना नगण्य रहे एवं इस संबंध में प्रस्ताव व योजना 01 माह में प्रस्तुत करें।
17. यदि किसी उल्लंघनकारी इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वा. बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तो के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
18. पेट कोक एवं फर्नेश ऑयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहमति शर्तो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित की जायेगी। इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 और इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(पी0के0 अग्रवाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

तद्दिनॉक-

पृष्ठ संख्या-

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 347/सी–5/सहमति (वायु) आदेश–25/17 दिनॉक– 27/12/17

विषय : **मै0 अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि0 (शुगर इकाई), हरगांव, सीतापुर** को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21/22 अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या– दिनॉक

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र **मै0 अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि0 (शुगर इकाई), हरगांव, सीतापुर** को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनॉक **01.01.2018 से 31.12.2019** तक की अवधि के लिए मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21/22 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

अनुलग्नकः संलग्नक।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या–347/सहमति(वायु)/आदेश/25/17 दिनॉक 27/12/17

सहमति शर्ते

1. फ्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होना चाहिए।
   (i) 120 टी.पी.एच. के ब्वायलर पर वेट स्क्बर के साथ भूतल 67 मी0 ऊँची चिमनी ।
   (ii) 70 टी.पी.एच. के ब्वायलर पर वेट स्क्बर के साथ भूतल 30 मी0 ऊँची चिमनी ।
   (iii) 25 टी.पी.एच. के 02 नग ब्वायलर पर वेट स्क्बर के साथ भूतल 30 मी0 एवं 65 मी0 ऊँची चिमन
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
   (i), (ii) व (iii) पर्टिकुलेट मैटर– 150 मिग्रा0/नार्मल घन मी0
3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु संख्या 4, 5, एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानको के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनॅाक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

(अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

9. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानको सदर्भित धारा–29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा–29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
10. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
11. इकाई का रख–रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नही होना चाहिए।
12. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा किसी अन्य 'आउटलेट' से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्राविधान किया जाय।
13. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरंत बंद किया जाये तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाये।
14. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशो का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। किसी भी समय दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस समस्त सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

15. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा–21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैद्य रहेगी।
16. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाये। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैद्यता समाप्त होने से 30 दिन अ थवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यन्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित उत्सर्जन की नवीन तिथि से पूर्व जो भी पहले हो जमा किया जाये।
17. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाये।
18. आवदेक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनाए जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
19. इस सहमति आदेश की प्रति के 30 दिन अन्दर अपने उद्योग के डायरेक्टर्स/पार्टर्न्स/प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5